न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 37 / 2009
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2009 / 00036

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

कन्हैयालाल के वारिसान	1.रिड़ू बेवा जोगाराम जाति माली
1.बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल	2.गोरधन पुत्र जोगाराम जाति माली
2.तुलसाराम पुत्र कन्हैयालाल	3.घेवरचन्द पुत्र जोगाराम जाति माली
3.गिरधारीलाल पुत्र कन्हैयालाल	4.अचलचन्द पुत्र जोगाराम जाति माली
4.नेमाराम पुत्र कन्हैयालाल	5.रामचन्द्र पुत्र जोगाराम जाति माली
5.तीजो पत्नी कन्हैयालाल	6.माणकलाल पुत्र जोगाराम जाति माली
जाति घांची निवासी बालोतरा	7.रामप्यारी बेवा भगवानदास जाति माली
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	8.प्रकाशचन्द पुत्र भगवानदास जाति माली
6.मैथी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी	9.महेशचन्द्र पुत्र भगवानदास जाति माली
भूराराम जाति घांची	10.घीसूलाल पुत्र गुमनाराम जाति घांची
निवासी पांयला कलां	11.घेवरचन्द पुत्र नगाराम जाति घांची
तहसील सिणधरी	12.बाबूलाल पुत्र कानाराम जाति घांची
7.वाली पुत्री कन्हैयालाल पत्नी	निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
पुखराज ज़ाति घांची	13.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
8.हस्तु पुत्री कन्हैयालाल पत्नी	पचपदरा
गणपतलाल जाति घांची	
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा	
9.परमेश्वरी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी	
मानाराम जाति घांची निवासी धुधाड़ा	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 09
3.प्रतिवादी संख्या 10 से 12 एकत [illegible]
4.प्रतिवादी संख्या 13 अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 18.09.2024

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 292 अवस्थित हैं तथा वादग्रस्त भूमि के सेढा–सेढ प्रतिवादी का खसरा संख्या 293 अवस्थित हैं,उक्त खसरान के बीच माठ अवस्थित हैं। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 292 व 293 का नक्शा मौके पर कब्जे के अनुसार सही बनाया गया तथा मौके पर खसरा संख्या 292 का रकबा 6.08 बीघा एवं खसरा संख्या 293 का रकबा 4.18 बीघा अवस्थित हैं तथा इसी अनुसार ही नक्शा तैयार किया गया था। उक्तानुसार ही खतौनी जमाबंदी में अंकन किया जाना चाहिए था,लेकिन सेटलमेंट विभाग की गलती से खसरा संख्या 292 का रकबा 06.08 बीघा के स्थान पर 4.18 बीघा एवं खसरा संख्या 293 का रकबा 4.18 बीघा के स्थान पर 06.08 बीघा दर्ज किया गया,जो वादग्रस्त भूमि के मौके एवं नक्शे के विपरीत राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया,जबकि वादीगण की वादग्रस्त भूमि का रकबा मौके एवं नक्शे मुताबिक 06.08 बीघा हैं,लेकिन रेकर्ड में रकबा कम अंकन के कारण यह दावा पेश किया गया हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा से दुरस्त कर नक्शे एवं कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 292 रकबा 06.08 बीघा घोषित करवाने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु, वाद पेश किया गया हैं।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 से 09 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 09 द्वारा वादीगण के वाद–पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का खंण्डन करते हुए जवाबुल–जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को सुनवाई के अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा व खसरा संख्या 293 रकबा 6.18 बीघा वक्त सेटलमेन्ट मौका कब्जा अनुसार सही इन्द्राज हुआ था तथा पक्षकार [illegible] से आदिनांक तदनुसार मौके पर काबिज है। वादीगण का [illegible] रकबा 4.18 बीघा है तथा मौके पर इतने ही रकबे पर काबिज हैं, [illegible] के आधार पर वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में से बेचान प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को कि[illegible]या गया था। प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 293 का रकबा 6.18 बीघा मौके एवं रेकर्ड समान है,तदनुसार ही नक्शा कायम किया जाना चाहिए था,लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी की खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की मौका एवं रेकर्ड के विपरीत नक्शा तैयार किया गया। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा पेश किया हैं। अतः वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 293 का रकबा 6.08 बीघा मुताबिक नक्शा दुरस्ती का आदेश दिया जाए।

4. प्रकरण में उभय पक्षकारान् द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विचरित किए गए :–

<u>तनकी संख्या 01</u> :–आया वादीगण मौजा जेरला के खेत खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा से दुरूस्त कर नक्शे व कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 292 रकबा 6.08 बीघा का खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 02</u> :–आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 03</u> :–आया प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे–प्रतिवादीगण)

<u>तनकी संख्या 04</u> :–सहायता (अनुतोष) ?

5. वादीगण की ओर से वाद पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाहान् के PW.01 तुलछाराम PW.02 मोहनलाल के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम जेरला की खतोनी सवंत् 2076–2079,प्रदर्श–02 खतोनी संवत् 2076–2079,प्रदर्श– 03 नक्शा लट्ठा ट्रेस,प्रदर्श–04 शीट नक्शा सेटलमेन्ट,प्रदर्श–05 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 15.01.2020,प्रदर्श–06 नक्शा लट्ठा ट्रेस, प्रदर्श–07 में खसरा बन्दोबस्त संवत् 2009, प्रदर्श–08 जमाबंदी सवंत् 2053–2056, प्रदर्श–09 खतोनी संवत् 2064–2067,प्रदर्श–10 जमाबन्दी संवत् 2032–2035, प्रदर्श–11 व 12 खतोनी संवत् 2064–2067,प्रदर्श–13 नक्शा लट्ठा ट्रेस खसरा संख्या 292 व 293 की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

6. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW.01 अचलचन्द उर्फ अचलाराम, DW.02 सुजाराम के सशपथ बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–A1 वादग्रस्त खसरा संख्या 293 की खतोनी ब[illegible] 2012–2031 तक, प्रदर्श–A2 खसरा गिरदावरी संवत् 2028–2031 प्रदर्श–A3 [illegible] बन्दोबस्त संवत् 2012–2031 तक,प्रदर्श–A4 नामांतकरण संख्या 162 की प्रति, प्रदर्श–A5 जमाबन्दी संवत् 2060–2063, प्रदर्श–A6 नक्शा मोमी ट्रेस, प्रदर्श–A7 नेखंमबदी आदेश दिनांक 24.06.2009 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–A8 खतोनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2031,प्रदर्श–A9 नामांतकरण संख्या 453 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–A10 नामांतकरण संख्या 717 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–A11

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नामांतकरण संख्या 756 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–A12 खसरा गिरदावरी संवत् 2068–2071 व प्रदर्श–A13 खसरा गिरदावरी संवत् 2068–2067 की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादीगण नें निवेदन किया कि ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 292 व 293 जोड़ा जोड़ आए हुए है,जिसके बीच में पुरानी सेटलमेन्ट के वक्त की माठ है तथा पहले छीणें खड़ी की हुई थी तथा तारबन्दी की हुई थी,जो प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अभी मौके पर से हटा दी है,परन्तु पश्चिमी सेढ़े पर उनकी दीवार आज भी मौके पर खसरा संख्या 293 की हद तक मौजूद है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेतों के बीच तारबन्दी प्रतिवादीगण ने इसलिए हटाई कि वे इस जगह चार दीवारी पक्की दीवार बनाना चाहते थे। संवत् 2010–2011 में सेटलेमेन्ट हुआ,उस समय खसरा संख्या 292 व 293 का नक्शा मौके पर क़ब्जे के अनुसार सही बनाया गया। मौके पर खसरा संख्या 292 का रकबा 6.08 बीघा था व आज भी है,इसी तरह खसरा संख्या 293 का रकबा 4.18 बीघा वक्त सेटलमेन्ट था व आज भी मौके पर है। खसरा संख्या 293 रकबा 4.18 बीघा भूमि पर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 काबिज काश्त है तथा अपनी हद तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने सड़क के सहारे सहारे बदिशा पश्चिम में पक्की चार दीवारी बना रखी है,जहां पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 9 की दीवार खत्म होती है,उसके आगे सड़क के सहारे सहारे वादी की छीणे खड़ी कर तारबंन्दी की हुई हैं,यानि कि मौके पर कब्जे का आधार वक्त सेटलमेन्ट से आज भी मौके पर मौजूद है। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा बन्दोबस्त बनाते वक्त खसरा संख्या 292 रकबा 6.08 बीघा लिखना चाहिये था,उसके स्थान पर रकबा 4.18 बीघा लिख दिया,इसी प्रकार खसरा संख्या 293 का रकबा 4.18 बीघा लिखना चाहिए था,उसके स्थान पर 6.08 बीघा लिख दिया गया,यानि कि खसरा संख्या 292 की जगह खसरा संख्या 293 का रकबा लिख दिया गया व खसरा संख्या 293 के स्थान पर खसरा संख्या 292 का रकबा लिख दिया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर कभी तनाजा नहीं हुआ। इसी दोनों खसरों के बीच की दीवार बनाते वक्त पटवारी से पैमाईश करवाई गई,तो उसने बताया कि दोनों खसरों का रकबा मौके पर कब्जे व राजस्व रेकर्ड में अनुसार बराबर है,लेकिन खतौनी से मिलान करने पर रकबा मिलान नहीं करता है तथा दोनों खसरो का रकबा उलट–सुलट लिख दिया गया है। जिससे खतौनी में दर्ज रकबे से कब्जा व नक्शा मेल नहीं खाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों को पता चला व एहसास हुआ प्रतिवादी संख्या [illegible] कि उनकी जमीन तो उनके द्वारा बनाई हुई दीवार तक है,आगे वादीगण की भूमि व तारबन्दी [illegible] सही है,परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मन में लोभ जाग्रत हुआ,तब [illegible] खतौनी के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करनी शुरू कर दी,तब राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर खसरा संख्या 292 माफिक कब्जा व नक्शा अनुसार 6.08 बीघा रकबा घोषित करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया गया। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में से बेचान किए गए भू–भाग से विक्रय–पत्र में यह कहीं स्वीकार नहीं किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उसका कब्जा 6.08 बीघा भूमि पर नहीं हो,जबकि वादीगण की ओर से अपने बयानात एवं दस्तावेजी साक्षय सबूतो से यह साबित किया है कि वादग्रस्त खसरान 292 व 293 का मौका कब्जा–काश्त मुताबिक नक्शा मौके पर काबिज है तथा वादीगण की मौके पर 6.08 बीघा भूमि अवस्थित है तथा उक्तानुसार रकवा नक्शा हैं,लेकिन रेकर्ड में नक्शा मुताबिक रकबा वादीगण की खातेदारी में इन्द्राज नहीं हुआ हैं, जो वादीगण वादग्रस्त खसरा संख्या 292 का नक्शा मुताबिक रकबा 6.08 बीघा खातेदारी घोषित करवाने एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने का हकदार हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी के प्रतिदावा मनगढंत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें तथा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा से दुरस्त कर नक्शे व कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 292 रकबा 6.08 बीघा घोषित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दंखलदान्जी नहीं करें। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस तथा वाद–पत्र के समर्थन में R.R.D पृष्ठ 102 व R.R.T 2011(1) पृष्ठ 6 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए।

8. इसके विपरीत प्रतिवादी अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादीगण का वाद–पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि प्रतिवादी का कब्जा सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 293 रकबा 6.08 बीघा पर वक्त सेटलमेन्ट से माफिक खतौनी रहा है। वादीगण का कभी भी कब्जा खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा से अधिक रकबे पर नहीं रहा। खेत खसरा संख्या 293 का नक्शा मौके के कब्जे व जमाबन्दी अनुसार नहीं बना,जबकि मौके पर प्रतिवादी का कब्जा वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक 06.08 बीघा भूमि पर कायम रहा है। वादीगण ने खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा होना स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 को भूमि बेचान की,यदि अपना रकबा खतौनी में कम दर्ज होता तो पहले उसकी दुरूस्ती की कार्यवाही करते। वादीगण अपनी लिखित संस्वीकृति जो पंजीकृत दस्तावेज में दर्ज है,के विपरीत अन्य कोई कथन करने से विबन्धित हैं। खतौनी में रकबा सही दर्ज किया था,किन्तु नक्शा में मौके एंव खतौनी अनुसार रकबा दर्ज नहीं किया गया,जिसकी दुरूस्ती हेंतु प्रतिवादीगण प्रतिदावा प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादीगण ने अपनी खतौनी व कब्जे अनुसार सही तथ्यो की नेखमबन्दी का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रतिवादी की ओर से गवाहान् बयानात् एवं दस्तावेज से भी साबित कि[illegible] करवाने के हकदार है। इसके लिए धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अ[illegible]यम [illegible]धान विद्यमान है। वादीगण का वाद पत्र में कोई सारवान् [illegible] वाद खारिज किया जावें तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार [illegible] जाकर वादग्रस्त खसरा संख्या 293 रकबा 6.08 बीघा मुताबिक राजस्व नक्शा में दुरूस्ती की जावे। अपनी बहस के समर्थन में RRT 2003 (1) पृष्ट 313 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

9. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा न्यायिक दृष्टान्तो एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:-

<u>तनकी संख्या 1</u>:- आया वादी मौजा जेरला के खेत खसरा संख्या 292 रकबा 4.18 बीघा से दुरूस्त कर नक्शे व कब्जे के अनुसार खसरा संख्या 292 रकबा 6.08 बीघा का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे-वादीगण)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाहान में PW.01 व PW.02 के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श -01 से 13 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। वादी पक्ष गवाहान् तुलछाराम ने बयानात् में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 292 व 293 सेढा-सेढ अवस्थित हैं तथा दोनो खेतो के बीच में पुरानी माठ कायम है। वक्त सेन्टलमेंट पैमाईश के आधार पर नक्शा तैयार हुआ तथा नक्शा मुताबिक ही खतोनी में रकबा इन्द्राज किया जाना चाहिए था,लेकिन सेटलमेन्ट विभाग की गलती से वादीगण का खसरा संख्या 292 का नक्शानुसार रकबा 6.08 बीघा के स्थान पर 4.18 बीघा व प्रतिवादी का खसरा संख्या 293 का नक्शानुसार रकबा 4.18 बीघा के स्थान पर 6.08 बीघा खतोनी में गलत प्रविष्टि इन्द्राज की गई। वादीगण की खातेदारी भूमि का मौका एवं नक्शा मुताबिक 6.08 बीघा घोषित किया जाकर रेकर्ड मे दर्ज की जावे। स्वतंत्र गवाहान् PW.02 मोहनलाल ने भी वादीगण का मौके पर 6.08 बीघा भूमि पर कब्जा होने का कथन किया। हमनें पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किया। उक्त तनकी में वादीगण को यह साबित करना है,कि वादीगण का वक्त सेटलमेन्ट से खसरा संख्या 292 की खतोनी राजस्व नक्शे के रकबे अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत हैं,इस बिन्दु पर जो साक्ष्य वादीगण की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी पेश की गई है,में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है,जिसमें वादीगण का कब्जा 06.08 बीघा भूमि पर कभी भी रहा हो। इसके विपरित प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य कब्जे-काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरी [illegible] पेश किये हैं,में खसरा संख्या 293 रकबा 6.08 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। [illegible] यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां दस्तोवजी साक्ष्य उपलब्ध [illegible] हो जाती हैं। अधिकार अभिलेख अनुसार ही मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा 06.08 बीघा भूमि पर है तथा वादीगण का कब्जा 04.18 बीघा पर ही है,जिसका खण्डन वादीगण की ओर से किसी भी रूप से नहीं किया गया हैं।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के अधिकारों के संबध में न्यायिक निर्णय प्रदत किये हैं,जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

01. विशनसिंह बनाम मगनसिंह, 2001 (1) RRT 596: 2001 RRD 60

02. फूलचंद बनाम श्रीमति शीला, 2006 RRD 275

सारांशतः उक्त समस्त प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा पूर्व में की गई प्रविष्टियों को ही समान रूप से दोहराव करना होता हैं, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टियों में बदलाव का अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं हैं।

उक्त सुस्थापित सिद्धान्त के आधार पर यह परिकल्पना की जानी उचित है कि भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान खसरा लेखन एवं रकबा बरारी के दौरान खतोनी में किया गया अंकन सत्य हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 113 अधिकार अभिलेख (Record of Rights यथा–मिसल बंदोबस्त,जमाबंदी,मिसल हकीयत) तैयार करने के विषय में हैं। अधिकार अभिलेख के सबंध में हरिहर बनाम टिकेत शिवप्रसाद सिंह, AIR 1954 पटना 173 में प्रतिपादित है कि अधिकार अभिलेख एक सार्वजनिक प्रलेख हैं तथा उसके विषय में यह उपधारणा होती है कि उसमें लिखी गई बाते सही हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 अधिकार अभिलेख में किये गये इन्द्राजों के लिए उपधारणा प्रदत करती हैं, जिसके अनुसार "अधिकार अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजो के सही होंने की उपधारणा की जाएगी,जब तक कि विपरीत सिद्ध न कर दी जाए।"

[गियारसा बनाम रेवेन्यू बोर्ड,2003 RRD 150;2003(2) RRT 739(H.C.)]

उक्त वर्णित समस्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं सुसंगत प्रावधानो से यह स्पष्ट है कि अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टियां सही हैं तथा बिना किसी ठोस आधार के उसमें परिवर्तन कर खातेदारी को कम या अधिक करना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया हैं,जिसमें उभयपक्ष के मौका कब्जा,नक्शा तथा जमाबंदी में दर्ज रकबे में भिन्नता दर्शायी गयी हैं,परन्तु इस प्रतिवेदन पर हम ज्यादा गौर करना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि उक्त वर्णित विवेचन अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों को प्रामाणिक एवं सही ठहराता हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तन[illegible] अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी [illegible] की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 02–आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे वादीगण)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूंकि तनकी संख्या 01 वादीगण साबित नहीं कर पाए है। पक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद हो,ऐसा वादीगण साबित नहीं कर पाए है,जबकि वादी पक्ष की ओर से मौखिक कथन किया गया कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी दंखलदान्जी करते हैं,लेकिन ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया,जिससे साबित हो कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। यदि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सीमा विवाद है भी,तो उसके निपटारे के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 में प्रावधान प्रदत किये गए हैं,जिसको निपटाने के लिए पृथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जा सकती हैं। अतः किसी अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध केवल–मात्र मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं,उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भली–भांति साबित होना आवश्यक है। ऐसी सूरत में उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 3– आया प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहान् DW.01 तथा DW.02 पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1 से प्रदर्श A13 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादी पक्ष गवाह अचलचन्द उर्फ अचलाराम द्वारा बयानात में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 292 व 293 सेढा सेढ अवस्थित हैं। वक्त सेटलमेन्ट के समय खसरा संख्या 292 व 293 का मौके पर काबिज मुताबिक खतौनी में रकबा इन्द्राज हुआ था,लेकिन खतौनी मुताबिक नक्शा कायम नहीं हुआ,इस कारण खतौनी में रकबा मुताबिक नक्शा रकबा कायम किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जाए। प्रतिवादी गवाही DW.01 के अलावा प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में बतौर साक्षी उपस्थित DW.02 सुजाराम जो 71 वर्ष का व्यक्ति है,जिसने प्रतिवादी के खातेदारी की भूमि पर काश्त करने की साक्ष्य दी है,को किसी प्रकार से विचलित किया जा सके,ऐसा कोई आधार दौराने जिरह गवाह से नहीं साबित करवा सके। इसके विपरीत दौराने जिरह गवाह ने यह कथन किए है कि मौके पर प्रतिवादीगण का माफिक खतौनी, गिरदावरी अनुसार कब्जा प्रतिवादीगण का 0 [illegible] र है, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार [illegible] बीघा पर है व गिरदावरी में भी काश्त फसल बाजरी 6.08 [illegible] की संवत् 2028–2031 में अंकित हैं। यद्यपि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 [illegible] ध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के अन्तर्गत खसरा गिरदावरी को न तो अधिकार अभिलेख माना गया हैं ओर न ही वार्षिक रजिस्टर,लेकिन **सूरजमल बनाम राज्य**,1959 RRD173,के मामले में वादग्रस्त भूमि पर कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के लिए खसरा गिरदावरी को एक आधारभूत अभिलेख माना गया हैं। विभिन्न न्यायालय इस कथन पर एकमत है कि खसरा गिरदावरी एक लोक अभिलेख अवश्य है एवं उसका साक्ष्य संबंधी मूल्य हैं परन्तु यह अधिकार अभिलेख नहीं हैं,जिसके साथ सत्यता की कानूनी संभावना जुडी हैं। चूंकि उक्त दृष्टान्तो के आधार पर खसरा गिरदावरी को कब्जे संबंधी प्रश्न का निर्धारण करने के लिए नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हैं तथा साक्ष्य में इसका अपना महत्व हैं,अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–ए2 खसरा गिरदावरी अनुसार प्रतिवादी का 06–08 बीघा भूमि पर कब्जा प्रमाणित होता हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो,वहां मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रहता हैं। इसके अलावा वादीगण ने अपने आप को खसरा संख्या 292 का खातेदार होना बता कर अधिकार अभिलेख खतौनी के माफिक रकबा 04.18 बीघा होना स्वीकार कर भूमि के भाग का बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख किया है,जिसके नामान्तकरण प्रदर्श–ए 11 है। उक्त तथ्य को वादीगण अपनी साक्ष्य में दौराने जिरह स्वीकार करता है कि उसके पिता द्वारा बाद बेचान उक्त दावा पेश किया था,जो व्यक्ति अपने विधिक अधिकार दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार करता है,उसके विपरित अन्य कोई कथन करने से विबन्धित होता हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है, के अनुसार प्रतिवादीगण खसरा संख्या 293 रकबा 06.08 बीघा के खातेदार खतौनी अभिलेख अनुसार वक्त सेटलमेन्ट के अनुसार है, हमारे द्वारा इसके अतिरिक्त प्रदर्श दस्तावेज पर गौर करने पर पाया कि प्रदर्श A1 वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 तक खसरा 293 रकबा 6.08 बीघा दर्ज है,प्रदर्श A2 खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2031 की खसरा 293 रकबा 6.08 बीघा,प्रदर्श A3 खतौनी बन्दोबस्त खसरा सख्या 293 रकबा 6.08 बीघा इन्द्राज है,इसी प्रकार प्रदर्श A4 नामांतकरण संख्या 162, प्रदर्श A5 जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063,प्रदर्श A8 खतौनी बन्दोबस्त अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 293 रकबा 6.08 बीघा भूमि की खतौनी प्रविष्टि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक रेकर्ड में यथावत चली आ रही है,जिसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि खसरा संख्या 293 का रकबा 6.08 बीघा वक्त सेटलमेन्ट कायम नहीं हुआ हो। प्रतिवादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सेटलमेन्ट खतौनी रकबा 6.08 बीघा मुताबिक नक्शा कायम किया जाना चाहिए था,जो कि खसरा संख्या 293 का रकबा 6.08 बीघा के स्थान पर 4.08 बीघा रकबा नक्शा कायम किया तथा खसरा संख्या 292 [illegible] खतौनी रकबा के स्थान पर 6.08 बीघा नक्शा कायम किया,जो विधि में [illegible] प्रावधान के विपरीत कार्यवाही की गई थी। ऐसी कार्यवाही को कायम रखा जाना विधि [illegible] नहीं होता है। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया था कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम अनुतोष कि खतौनी में इन्द्राज रकबा मुताबिक नक्शा दुरस्त किया जावें,जिसकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधान में राहत नहीं दी जा सकती हैं। इस संबंध में RRD 2015 पृष्ठ 102 एवं 2011 (1) RRT पृष्ठ 06 न्यायिक दृष्टांत पेश किया,जो कि हस्तगत प्रकरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

में प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम की प्रकृति पर चस्पा नहीं होते है तथा वादी अधिवक्ता का तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं हैं,क्योकि प्रतिवादी द्वारा वक्त सेटलमेन्ट खतौनी बन्दोबस्त के मुताबिक रकबा नक्शा कायम करने का अनुतोष चाहा गया हैं,जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत राहत प्रदान की जा सकती हैं। इसी प्रकार RRT 2003 (1) पृष्ठ 313 में भी प्रतिपादित है कि क्षेत्रफल व सीमाओं के संबंध में विवाद के मामले में धारा 89 के प्रावधान आकर्षित होते है जो कि निम्नानुसार है –:

धारा 89 काश्तकारी के वर्ग इत्यादि के संबंध में दावे:– काश्तकारी चालू रहने के किसी भी समय,आसामी या राज्य सरकार से अलग कोई भूमिधारी, निम्नलिखित समस्त मामलों या उन में से किन्ही की घोषणा के लिए दावा दायर कर सकता हैं:–

(क) आसामी किस वर्ग का हैं,

(ख) भूमि क्षेत्र (हॉल्डिंग) के क्षेत्रफल नम्बर लगाये हुए प्लॉट अथवा उसकी सीमाएं।

(ग) भूमि क्षेत्र के विषय में दिया जाने वाला लगान तथा उसे चुकाये जाने की रीति।

(घ) नकद में देय होने कि अवस्था में, वे तारीखे जिनको तथा वे किस्ते जिनमें, लगान का भुगतान किया जाना हैं।

(ड) लगान जीन्स में देय होने की अवस्था में फसलों का मूल्य निर्धारण, विभाजन (डिलिवरी) का समय, स्थान और तरीका।

(च) गैर खातेदार आसामी अथवा खुदकाश्त के आसामी अथवा शिकमी–आसामी की अवस्था में, कालावधि जिसमें काश्तकारी चलेगी, और

(छ) कोई भी विशिष्ट शर्त जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो।

<u>91. अन्य अधिकारों की घोषणा के लिये दावा:–</u>कोई व्यक्ति,निर्दिष्टतया अन्यथा उपबन्धित होने की स्थिति के अलावा, अपने उन समस्त अधिकारों या उनमें से किन्ही की घोषणा के लिये जो उसे इस अधिनियम,द्वारा दिये गये हों एवं जिनके लिये अन्यथा प्रावधान किये हुए नहीं हों, द्वारा कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वांछित अनुतोष के संबंध में न्यायालय हाजा राहत प्रदान के लिए विधि में निहित प्रावधनों के तहत सक्षम है। इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 01 के विस्तृत विवेचन के दौरान यह स्थापित किया जा चुका है कि जमाबंदी में की गई प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा अभिनिर्धारित हैं,अतः खसरा संख्या 293 का अधिकार अभिलेख जमाबंदी में अंकित रकबा 06–08 बीघा अंकन सही हैं तथा अंकित रकबे में कोई त्रुटि [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से साबित किया है कि प्रतिवादी की खतौनी बंदोब[illegible] रकबा मुताबिक नक्शा कायम नहीं हो रखा है। प्रतिवादी [illegible] में भी वादग्रस्त खसरान् का खतौनी में दर्ज रकबा मुताबिक नक्शा कायम नहीं होना स्पष्ट किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आलोक में प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी के क्षेत्रफल एवं सीमा के संबंध में प्रस्तुत प्रतिदावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियमकी धारा 89(b) के तहत अभिनिर्धारित कर

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O । बालोतरा

विचारण किया जा रहा हैं तथा इसी क्रम में तनकी संख्या 03 प्रतिवादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4– अन्य दादरसी ?

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 292 तथा 293 की मौका कब्जा एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके अनुसार :–राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 292 का रकबा 04–18 बीघा तथा 293 का रकबा 06–08 बीघा हैं। राजस्व नक्शा मूलशीट में रकबा बरारी (क्षेत्रफल की गणना) अनुसार खसरा संख्या 292 का रकबा 06–08 बीघा तथा खसरा संख्या 293 का रकबा 05–08 बीघा हैं। मौके पर कब्जा की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 292 के खातेदारों का तकरीबन 05–18 बीघा तथा 293 के खातेदारों/हितधारकों का तकरीबन 06–08 बीघा भूमि पर कब्जा हैं।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त दोनों खसरों का जमाबंदी अनुसार कुल रकबा 11–06 बीघा हैं तथा नक्शे में 11–16 बीघा हैं। मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार दोनो खसरों का कुल रकबा 12–06 बीघा हैं,अतः नक्शा व कब्जा दोनों ही स्थिति में कुल रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे से ज्यादा हैं।

चूंकि प्रकरण में तनकी संख्या 03 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं,अतः प्रतिवादीगण के मौका कब्जा को दृष्टिगत रखते हुए जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुरूप राजस्व नक्शे में सीमा अंकित की जानी हैं तथा अवशेष रकबे में राजकीय भूमि के रूप में इन्द्राज कर पृथक खसरा संख्या अंकित किया जाना हैं। उक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 13 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम,1957 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता हैं।

अनुतोष:–उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा प्रतिवादी अपने पक्ष में कायम तनकी संख्या 03 को साबित करने में सफल रहा है। अतः वाद वादीगण अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादीगण वाद-[illegible] तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल [illegible] जाता है तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरली तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 293 का राजस्व नक्शे में रकबा 04–18 बीघा को मौका कब्जा के दृष्टिगत जमाबंदी में दर्ज रकबा 06–08 बीघा के अनुरूप दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सुनिश्चित करें एवं अवशेष रकबे को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम,1957 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पृथक से खसरा संख्या सृजित कर खाता संख्या 01 में सिवायचक के रूप में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हों। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 37 / 2009
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2009 / 00036

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
कन्हैयालाल के वारिसान 1.बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल 2.तुलसाराम पुत्र कन्हैयालाल 3.गिरधारीलाल पुत्र कन्हैयालाल 4.नेमाराम पुत्र कन्हैयालाल 5.तीजो पत्नी कन्हैयालाल जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.मैथी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी भूराराम जाति घांची निवासी पांयला कलां तहसील सिणधरी 7.वाली पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पुखराज जाति घांची 8.हस्तु पुत्री कन्हैयालाल पत्नी गणपतलाल जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 9.परमेश्वरी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मानाराम जाति घांची निवासी धुधाड़ा		1.रिझू बेवा जोगाराम जाति माली 2.गोरधन पुत्र जोगाराम जाति माली 3.घेवरचन्द पुत्र जोगाराम जाति माली 4.अचलचन्द पुत्र जोगाराम जाति माली 5.रामचन्द्र पुत्र जोगाराम जाति माली 6.माणकलाल पुत्र जोगाराम जाति माली 7.रामप्यारी बेवा भगवानदास जाति माली 8.प्रकाशचन्द पुत्र भगवानदास जाति माली 9.महेशचन्द्र पुत्र भगवानदास जाति माली 10.घीसूलाल पुत्र गुमनाराम जाति घांची 11.घेवरचन्द पुत्र नगाराम जाति घांची 12.बाबूलाल पुत्र कानाराम जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा 13.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 37 / 2009
निर्णय दिनांक :– 18.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 10 से 12 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 13 की अनुपस्थिति इस वाद में आज तारीख 18.09.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः–**

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादीगण वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर ग्राम जेरला तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 293 का राजस्व नक्शे में रकबा 04–18 बीघा को मौका कब्जा के दृष्टिगत जमाबंदी में दर्ज रकबा 06–08 बीघा के अनुरूप दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें एवं अवशेष रकबे को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम,1957 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पृथक से खसरा संख्या सृजित कर खाता संख्या 01 में सिवायचक के रूप में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वंय वहन करें।

यह आज तारीख 18.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:28:46 IST
Reason: SelfAttested